रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 484] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 20, 2013/भाद्र 29, 1935
No. 484] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 20, 2013/BHADRA 29, 1935

भारतीय रिज़र्व बैंक

(विदेशी मुद्रा विभाग)

(केंद्रीय कार्यालय)

शुद्धि-पत्र

मुम्बई, 8 अगस्त, 2013

सा.का.नि. 646(अ).—भारतीय रिज़र्व बैंक, विदेशी मुद्रा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई की 12 फरवरी, 2001 के सं. सा.का.नि. 89(अ) के जरिये भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित 17 नवम्बर, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 30/2000-आरबी में, विनियम 1 में, उप-विनियम (ii) के लिए, 'वे तत्काल प्रभाव से लागू होंगे' शब्दों के लिए 'वे 10 अक्तूबर 2000 से लागू हुए समझे जाएंगे' से प्रतिस्थापित होंगे और पढ़े जाएंगे ।

यह कि जैसा ऊपर शुद्धिकरण और संशोधन किया गया है, मूल विनियमावली पूर्ण रूप से लागू और प्रभावी बनी रहेगी ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उपबंध के पूर्व प्रभावी होने के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा ।

[फा. सं. 1/17/ईएम/2012]

सी. डी. श्रीनिवासन, मुख्य महाप्रबंधक

RESERVE BANK OF INDIA

(Foreign Exchange Department)

(CENTRAL OFFICE)

CORRIGENDUM

Mumbai, the 8th August, 2013

G.S.R. 646(E).—In the Notification No. FEMA. 30/2000-RB dated November 17, 2000 of the Reserve Bank of India, Foreign Exchange Department, Central Office, Mumbai, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide G.S.R. 89 (E) dated February 12, 2001, in Regulation 1, for Sub-regulation (ii), for the words, "The shall come into force with immediate effect", the words, "They shall deemed to have come into force from October 10, 2000." shall be substituted and read

That as rectified and modified as aforesaid, the Principal Regulations shall remain in full force and effect.

It is clarified that no person will be adversely effected as a result of retrospective effect given to this provision.

[F. No. 1/17/EM/2012]

C. D. SRINIVASAN, Chief General Manager

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.